

(Authoritative English text of this Department Notification No. AGR-BOB/25/2023-Agri-B dated 16th February, 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Agriculture

No. AGR-BOB/25/2023-Agri-B

Dated Shimla-2,

16th February, 2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 19 (1) of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2005 in supersession of all the previous orders/notifications/circular issued to exercise control over purchase and sale of apple a scheduled item of agricultural produce, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare his intention of exercising control over purchase and sale of apple, a scheduled item of agricultural produce in the market area as specified in notification No. Agr. A(4)-1/2006 dated 23.12.2006 to ensure freshness and quality of the fruit further to realize remunerative price, shall be as such in the manner as specified below: -

Maximum ceiling for RSC (Regular Slotted Container)/CFB (Corrugated Fiber Board) /Universal carton

Proposed Grade of Apples	Approximate weight of Apples (gms.)	Number of Apples per Tray	Number of Trays	Number of Apples per box	Average weight of the apples per box (kg)
Extra large	221-280	20	4	80	20.00
Large	181-220	20	5	100	20.00
Medium	141-180	25	5	125	20.125
Small	127-140	30	5	150	20.025
Extra Small	111-126	35	5	175	20.075
Pitu	90-110	40	5 CFB Separators	200	20.00

Specification of the universal carton:

Sr. No.	Constituents	Quality parameters for Universal Carton for Packaging of 20 Kg Apples
1.	Dimensions (mm) Length X Breadth X Height)	a) 500 x 300 x 310 ± 2 mm, for extra-large size, extra small size and extra pitu size. b) 500 x 300 x 330 ± 2 mm; for large size, medium size and small grade size
2.	Plyfor (Universal Carton)	5 Ply
3.	Tare weight (in Grams)	950 to 1050 gms $\pm 2\%$
4.	Grammage (gsm/cm ²)	200/200/200/200/200 (200 gsm of 24 B.F)
5.	Bursting Strength (Kg/Cm ²)	18 Kg $\pm 2\%$
6.	Compression Strength (kgf) at 27 ⁰ $\pm 2^0$ c for 24 Hrs. and	450 Kg $\pm 5\%$

	humidity 65 \pm 2%	
7.	Cobb value (Water Absorption gms/m ² for 30 minutes as per IS-4006 (part-I)1966	<120 \pm 5%
8.	Moisture %age (at the time of testing)	Not less than 8% and more than 10%
9.	Style of Carton	Universal Carton 5 ply CFB, RSC type with 02 nos. of 25 mm diameter ventilation holes at each end of the box
10.	Manufactures Joint	By Staple pins/Gluing

All concerned persons/parties, who are likely to be affected by this declaration may send in writing their objections or suggestions to the Secretary (Agriculture) to the Government of H.P. Shimla-171002, within 30 days of publication of this notification where after no objections or suggestions shall be entertained and further action will be taken to notify above grades.

By Order

Secretary (Agriculture) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

संख्या: कृषि-बी0ओ0बी / 25 / 2023-कृषि-बी तारीख: शिमला-2 16 फरवरी, 2024

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि उपज की अनुसूचित मद सेब के क्रय और विक्रय पर नियन्त्रण के लिए जारी समस्त पूर्व आदेशों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिक्रमण में, अधिसूचना संख्या: कृषि-ए(4)-1/2006, तारीख 23-12-2006 में यथा विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज की अनुसूचित मद सेब की लाभप्रद कीमत वसूल करने के लिए फल की ताजगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के आशय से निम्न विनिर्दिष्ट रीति में इसके क्रय और विक्रय पर नियन्त्रण करने की घोषणा करते हैं:-

रेगुलर सलोटीड कार्टन (आर एस सी) / कौरुगेटिड फाइबर बोर्ड (सी एफ बी) / यूनिवर्सल कार्टन के लिए अधिकतम सीमा

सेब का प्रस्तावित ग्रेड	सेब का अनुमानित वजन (ग्राम)	प्रति ट्रे सेबों की संख्या	ट्रे की संख्या	प्रति बॉक्स सेब की संख्या	प्रति पेटी सेबों का औसत वजन (किलो)
एक्स्ट्रा लार्ज	221-280	20	4	80	20.00
लार्ज	181- 220	20	5	100	20.00
मिडियम	141- 180	25	5	125	20.125
स्मॉल	127- 140	30	5	150	20.025
एक्स्ट्रा स्मॉल	111 -126	35	5	175	20.075
पितु	90- 110	40	5 कौरुगेटिड फाइबर बोर्ड / विभाजक	200	20.00

यूनिवर्सल कार्टन के मानक

क्रमांक संख्या	मानक	20 किलोग्राम सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन के गुणवत्ता मापदंड
1	आयाम (मिमी) लंबाई x चौड़ाई x उंचाई)	ए) 500 X300X310±2 मिमी, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल और पितु आकार के लिए) बी) 500 X300 X330± 2 मिमी, लार्ज, मिडियम और स्मॉल ग्रेड के लिए ।

2	यूनिवर्सल कार्टन की प्लाई	5 प्लाई
3	खाली डिब्बे का वजन (ग्राम) में	950 से 1050 ग्राम $\pm 2\%$
4	ग्रामेज (जीएसएम /सेन्टीमीटर ²)	200/200/200/200/200 (24 ब्रस्टिंग फैक्टर (बी.एफ) का 200 जीएसएम)

5	ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ (किलो/ सेन्टीमीटर ²)	18 किलोग्राम $\pm 2\%$
6	24 घंटे के लिए $27^0 \pm 2$ सेल्सियस पर संपीड़न शक्ति (KGF) एवं आर्द्रता $65 \pm 2\%$	450 किलोग्राम $\pm 5\%$
7	कौब वैल्यू (IS-4006 (भाग 1) 1966 के अनुसार 30 मिनट में पानी अवशोषण ग्राम / मीटर ²)	$<120 \pm 5\%$
8	नमी प्रतिशत (परीक्षण के समय)	8% से कम नहीं और 10 % से अधिक नहीं
9	कार्टन की शैली	यूनिवर्सल कार्टन 5 प्लाई कौरुगेटिड फाइबर बॉक्स, रेगुलर सलोटिड कार्टन बॉक्स के प्रत्येक किनारे पर 2 न0 25 मि0मि0 व्यास के वेंटिलेशन छिदरो के साथ
10	विनिर्माण जोड	स्टेपल पिन/गोंद द्वारा

इस घोषणा से संभाव्य प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्ति/पक्षकार, अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को भेज सकेंगे तथा इसके पश्चात् किसी भी सुझाव या आक्षेप पर विचार नहीं किया जाएगा और उपरोक्त ग्रेडों को अधिसूचित करने के लिए आगामी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश द्वारा

सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार